संचिका सं0–10/यो०–1–10/2014......960........(10)

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

**राधेश्याम साह,**
**सरकार के विशेष सचिव ।**

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0),**
**वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।**

पटना, दिनांक– 07/01/2019

**विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के पुराने भवनों (प्री–फैब तकनीक से निर्मित) के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रुपये 53,52,800/–(तिरपन लाख बावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक, मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास), कोईलवर, भोजपुर के पत्रांक–108, दिनांक–14.05.2018 द्वारा प्री–फैब तकनीक से निर्मित 180 शैय्या वाले मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के भवनों के जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में महाप्रबंधक (परि० एवं निरू०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरंचना निगम, पटना के पत्रांक–1503, दिनांक–05.07.2018 से कुल रुपये 53,52,800/–(तिरपन लाख बावन हजार आठ सौ रुपये) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के भवनों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रुपये 53,52,800/–(तिरपन लाख बावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

2. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

3. उक्त कार्य हेतु मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110 अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210011100013, विषय शीर्ष–(27 02) अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या—46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या—PLA-244 एवं विपत्र कोड—K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

5. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनांक—17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक—27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

7. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—10/यो0—1—10/2014 के पृष्ठ—63/टि0 में प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

10. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

11. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 5.1.19

**(राधेश्याम साह)**
**सरकार के विशेष सचिव ।**

ज्ञापांक:—960(10) /स्वा0, पटना, दिनांक—07-01-19

**प्रतिलिपि**—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, भोजपुर (आरा)/निदेशक, मानसिक आरोग्यशाला (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7, 10 एवं 11/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5.1.19

**सरकार के विशेष सचिव ।**